

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-01-2023	<p style="text-align: center;">मनिन्दरसिंह बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 387 / 2022</p> <p>अपीलार्थी मनिन्दरसिंह भाटिया, निवासी पी एंड टी. कॉलानी, बिल्डिंग 8/2, शास्त्रीनगर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13.10.2022 में (1) तरवीन्द्र कौर पुत्री हरीसिंह के नाम जारी S/C जाति गवारीया अनु. जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया उसके साथ जोड़े गये दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1746 दिनांक 08.12.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना बाबत कार्यालय हाजा प्रभारी सुगम एकल खिड़की की रिपोर्ट अनुसार संबंधित अभिलेख संधारण नहीं होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को इस कार्यालय का पत्रांक सूअअ/1180 दिनांक 28.11.22 को भिजवा दी गई परन्तु प्रार्थी द्वारा सूचना लेने से इन्कार किया। दिनांक 08.12.2022 को प्रार्थी को पुनः रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड संधारण नहीं होने बाबत प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	